न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 1451/2022

मु0अ0सं0 104/2022
सरकार बनाम साहिल कुरैशी आदि
अ0धारा 147,352/149,504,506 भा0दं0सं0
व 3(1)(ध)एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना : हापुड देहात
जिला : हापुड़

UPHP010040522022

05.01.2023 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण साहिल कुरैशी , सलमान कुरैशी , नासिर , बिलाल, शाहवेज जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,352/149, 504,506 भा0दं0सं0 व 3(1)(ध) एस0सी0 एस0टी0एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 18.01.2023 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 05.01.2023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 1451/2022

मु0अ0सं0 104/2022

सरकार बनाम साहिल कुरैशी आदि

अ0धारा 147,352/149,504,506 भा0दं0सं0

व 3(1)(ध)एस0सी0एस0टी0एक्ट,

थाना : हापुड देहात

जिला : हापुड़

UPHP010040522022

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण साहिल कुरैशी , सलमान कुरैशी , नासिर , बिलाल, शाहवेज पर यह आरोप लगाता हूँ कि –ः

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 11.03.2022 को समय सुबह करीब 09.50 बजे ग्राम असौडा बहद थाना हापुड देहात जिला हापुड में आप अभियुक्तगण विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे तथा उस जमाव के सदस्य के रूप में सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 147 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी व उसकी माता के विरूद्ध आपराधिक बल/हिंसा का प्रयोग किया । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 352/149 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी माता को बुरी – बुरी गालियां देकर उसे लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः   यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी माता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी व उसकी माता , जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान घर के सामने रास्ते पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया , इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(1)(ध) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हॅू कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 05.01.2023

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 05.01.2023